मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के अंतर्गत कृषि विकास अधिकारी के रिक्त बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2012

केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	25 जनवरी, 2012
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	24 फरवरी, 2012
परीक्षा दिनांक व दिन	25 मार्च, 2012 (रविवार)
परीक्षा शुल्क	कोई शुल्क नहीं।
ऑनलाईन आवेदन–पत्र हेतु एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– देय होगा।	

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से दोप. 12:15 बजे तक (02 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।

3. परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

अध्याय – 1
विभागीय नियम
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के अंतर्गत कृषि विकास अधिकारी के रिक्त बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2012

चयन संबंधी अनुदेश :

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल के पत्र क्रं. अ–2–7/स्था/10/623, दिनांक 02.02.2011 तथा शासन के ज्ञान क्रं./ए–1–ए/10/2008/14–1, दिनांक 18.06.2009 के अनुसार संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कृषि विकास अधिकारी के रिक्त बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011 के लिए यह निर्देश लागू होंगे।

1.1 सामान्य :–

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे, जो संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कृषि विकास अधिकारी के रिक्त बैकलॉग पदों पर सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा–2011 के लिए आवेदन कर रहे हैं।

1.2 परिभाषाएँ :–

(अ) इन निर्देशों में श्रेणी से तात्पर्य चार श्रेणियों अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा।

(ब) मण्डल से तात्पर्य मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

(स) म.प्र. से तात्पर्य मध्यप्रदेश है।

1.3 रिक्त पद से संबंधित जानकारियॉ :–

(क) पदनाम : कृषि विकास अधिकारी, वेतनमान : 5200–20200+2800 ग्रेड पे

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता :
द्वितीय श्रेणी में कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक।

(ग) आरक्षण तालिका (कुल पद 108):–

स.क्र.	श्रेणी	निल		विकलांग		भू.पू.सै.		योग
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2.	अनुसूचित जाति	27	11	02	01	03	02	46
3.	अनुसूचित जनजाति	36	16	03	01	04	02	62
	महायोग :–	63	27	05	02	07	04	108

1.4 आयु सीमा/आयु गणना/आयु में छूट :–

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए नियमानुसार दिनांक 01.01.2013 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रं.सी–3–5/2001/3/1, दि. 17.08.2004 के अनुसार अधिकतम आयु निम्नानुसार होगी :–

स.क्रं.	आवेदक	श्रेणी	अधिकतम आयु सीमा
1.	पुरूष	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा)	40 वर्ष
2.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा)	35+5+10=50 वर्ष
3.	महिला	आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जजा) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	35+5+10+5=55 वर्ष

1.4.1 प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों का विवरण :–

(अ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रं. सी–3–40–आ–84–(3)1, दिनांक 11.01.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ब) आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–10–85–3–1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(स) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3–18–85–3–1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जावेगी।

1.4.2 आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण :–

(क) निःशक्तजनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) शासकीय सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञान क्रं. 314/सीआर/102/1, दिनांक 26.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. सी–3/86/तीन/1, दिनांक 01.01.1987 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जावेगी।

(घ) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में भी, जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हो, अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जायेगी :–

(एक) जो उम्मीदवार शासन का स्थायी कर्मचारी हो, उसकी आयु तीस वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(दो) जो उम्मीदवार अस्थायी पद धारण कर रहा हो तथा अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। उपर्युक्त रियायत कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित व्यक्तियों को भी स्वीकार्य होगी ।

(तीन) ऐसे उम्मीदार, को जो कि छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक से अधिक सात वर्ष की अवधि भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्तें कि इसके परिणाम स्वरूप निकलने वाली आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :– शब्द ''छटनी'' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा संघटक इकाई में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छः माह तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया था ।

(चार) ऐसे उम्मीदवार को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, बशर्तें कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता यूनिट (इकाई) की सिफारिशों के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप

से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व निवृत्ति–रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा भर्ती किया गया हो, और
(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर
(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूरी होने पर सेवा मुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल युनिट (इकाई) के भूतपूर्व कर्मचारी

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें अनुबन्ध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो, जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा मुक्त किया गया हो ।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों ।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेंगे ।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(पॉच) वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों के अर्थात् उन स्वर्णकारों के मामले में भी जिनके पास श्रम विभाग के ज्ञापन क्रं. 3345–4005–सोलह, तारीख 6 मई 1963 के अनुसार पहचान पत्र हो, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की शिथिल की जा सकेगी।

(छः) ऐसा व्यक्ति जो 1.1.1963 के बाद रा.छ.सेना में पूर्णकालिक केडट अनुदेशक के रूप में भरती किया गया हो, अपनी प्रारंभिक वांछित सेवावधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय छात्र सेना से निर्मुक्त होने पर अपनी वास्तविक आयु में से राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि घटा सकेगा, परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह किसी विशिष्ट पद के लिए विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

टीपः– (1) उपर्युक्त उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के योग्य माना गया हो वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, चयन के लिए उपस्थित होने के पूर्व या पश्चात सेवा से त्याग–पत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी हो जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे। अन्य किसी भी मामले में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जावेगी। विभागीय उम्मीदवारों को चयन के लिए उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(2) यदि कोई आवेदक निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है, तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में ही छूट का लाभ प्राप्त होगा।

1.5 नागरिकता :

आवेदक को भारत का नागरिक व मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तहसीलदार (सक्षम प्राधिकारी) या उससे उच्च अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी का प्रमाण–पत्र मान्य होगा, जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

1.6 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :–

(अ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(ब) विकलांग (अस्थिबाधित / दृष्टिबाधित / श्रवणबाधित) अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(स) भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तत करना होगा।

1.7 अभ्यर्थिता / चयन के संबंध में निर्हताएँ / जानकारी :

1. पररूप धारण (इम्परसोनेशन) किया हो या किसी अन्य व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो, कार्यवाही करने पर आवेदक परीक्षा में अयोग्य घोषित किये जायेंगे।
2. ऐसा पुरूष उम्मीदवार जिसने 21 वर्ष की आयु के पूर्व तथा ऐसी महिला उम्मीदवार जिसने 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाह कर लिख हो लिखित परीक्षा के लिये अनर्ह माना जावेगा।
3. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतोन हो, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह माना जायेगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अनर्ह नहीं माना जावेगा।
4. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरूद्ध आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
5. मानसिक रूप से अस्वस्थ्य आवेदक को अयोग्य माना जायेगा।
6. फर्जी दस्तावेज / दस्तावेज फेरबदल किया हो / चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो / सारभूत जानकारी छुपाई हो अन्य कोई विवाद की स्थिति में सेवा से पृथक किया जावेगा एवं कोई अपील मान्य नहीं होगी।

1.8 चयन का आधार :

उक्त पद पर चयन हेतु मंडल द्वारा एक लिखित परीक्षा ली जायेगी, जिसमें 100 प्रश्नों, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का (कुल 100 अंक) व दो घंटे की समयाविध का एक प्रश्न–पत्र हिन्दी / अंग्रेजी माध्यम का होगा।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विभाग के नियमानुसार प्रावीण्य / प्रतीक्षा सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके अनुसार विभाग द्वारा चयन / नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

1.9 पाठ्यक्रम : (विस्तृत पाठ्यक्रम अध्याय–3 पर संलग्न है)

परीक्षा में कृषि स्नातक या कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर का निम्नलिखित विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम होगा :–

S.No.	Details	Marks
A.	Agronomy and Soil Science	25
B.	Agricultural Economics and Extension	10
C.	Plant Protection	20
D.	Plant Physiology & Plant Breeding	20
E.	Meteorology and Agricultural Engineering	25
	Total Marks :-	100

1.10 पारस्परिक वरीयता :

योग्यताक्रम अनुसार तथा पारस्परिक मेरिट–उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट उन्हें परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित होगी, परन्तु यदि दो व्यक्तियों के एक समान अंक मिलें, तो उस आवेदक को वरिष्ठ माना जावेगा, जो आयु में वरिष्ठ हो।

1.11 दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों का परीक्षण व चरित्र सत्यापन :

लिखित परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा जारी प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची के आधार पर विभाग द्वारा चयन/नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पूर्व समस्त मूल दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों आदि का सत्यापन/परीक्षण किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया जायेगा। नियुक्ति के समय नियमानुसार अनुबंध–पत्र का निष्पादन किया जावेगा। नियुक्ति के पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा।

चाहे गए समस्त प्रपत्र मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति/सत्यापन के समय किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्रस्तुत किए जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

1.12 नियुक्ति के संबंध में निर्देश :–

संचालनालय के पत्र क्रं. अ–2–7/स्थ/विभा/2010/2180, दिनांक 27.04.2011 के अनुसार लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची अनुसार विभाग द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर प्रथमतः "Provisional" नियुक्ति प्रदान की जायेगी, तदुपरांत विभाग द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को औपचारिक (Formal) नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा आदेश जारी किए जायेंगे तथा दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति दी जायेगी।

1.13 नियुक्ति की निर्धारित शर्तें :

1.	चयनित उम्मीदवार की पदस्थापना मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर की जा सकती है।
2.	आवेदक द्वारा उसकी नियुक्ति हेतु किसी प्रकार का दबाव/प्रभाव डालने पर उसे नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
3.	आवेदक भारतीय नागरिक होकर मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
4.	आवेदक मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आकर मध्यप्रदेश में बसकर एवं मध्यप्रदेश का मूल निवासी बन गया हो।
5.	आवेदक नेपाल की प्रजा होकर मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
6.	आवेदक भारत के संविधान के प्रारंभ होने के पूर्व सरकार या स्थानीय अधिकारी सेवा में आये और तभी से ऐसी सेवा में बने रहे हों।
7.	पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियॉ हो तथा ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसके पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
8.	उम्मीदवार को राज्य शासन के चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9.	आवेदक शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया हो तथा लोक सेवा में नियोजन के लिये अनर्ह घोषित न किया गया हो।
10.	आवेदक को नैतिक पतन के अपराध पर दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया हो।
11.	दिनांक 11.05.2000 से जो व्यक्ति विवाह की न्यूनतम आयु से पहले विवाह करेगा, नियुक्ति के लिये अयोग्य माना हावेगा।
12.	दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् जिन महिला/पुरूषों के दो बच्चे से अधिक बच्चे उत्पन्न होंगे उन महिला/पुरूषों को विभाग की सेवा के तहत लाभ अथवा सुविधाऍ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।
13.	चयनित उम्मीदवार का प्रथमतः चरित्र सत्यापन कराया जायेगा, पुलिस विभाग से उनके संबंध में किसी प्रकार की अनुचित जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

14.	उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जावेगा, असत्य जानकारी प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। पदों की पूर्ति एवं विवाद की स्थिति में विभाग के संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास का निर्णय अंतिम होगा।

1.14 यात्रा व्यय का भुगतान :

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के पत्र क्रं. एफ–6–1/2002/आ.प्र./एक, दिनांक 19.09.2002 अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिये विज्ञापित पदों की परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिये यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी गई है। अतः नियमानुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकिट प्रस्तुत करने पर न्यूनतम किराये का भुगतान किसान कल्याण कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा।

1.15 न्याय क्षेत्राधिकार :

इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायक्षेत्र मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक सीमित होगा।

––0––

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन नियम एवं निर्देश

महत्वपूर्ण :–

2.1 इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें आवेदक द्वारा दिए गए विकल्प व जानकारी के अनुसार ही परीक्षा व परिणाम संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

2.2 ऑनलाईन आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त किया जा सकेगा।

2.3 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.4 स्क्रुटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

(1)	अभ्यर्थी का फोटो	(2)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	(3)	श्रेणी
(4)	संवर्ग	(5)	मूल निवासी	(6)	जन्मतिथि
(7)	लिंग				

उपरोक्त जानकारी के रिक्त, गलत या अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा। विशेषकर जिस अभ्यर्थी के आवेदन के साथ अभ्यर्थी का फोटो प्राप्त नहीं होता है, उसका आवेदन–पत्र अमान्य कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जायेगा।

2.5 निरस्त होने के कारणों की सूचनाः–

(1) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रूपये 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 50/– वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

(2) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.6 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट— प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन—पत्र को रद्द/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.7 परीक्षा शहर व परीक्षा समय :—

लिखित परीक्षा केवल भोपाल शहर में अपरान्ह 02:00 से 04:15 बजे तक आयोजित की जायेगी।

2.8 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :—

प्रवेश—पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.9 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.10 परीक्षा के प्रश्न—पत्र :—

परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों व दो घंटे की अवधि का एक प्रश्न—पत्र होगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.11 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :—

अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) :— निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) के अंतर्गत माना जावेगा :—

(क) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
(ख) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
(ग) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।
(घ) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, ईशारे करना व अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
(ड.) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
(च) अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तरशीट या प्रश्नपुस्तिका की अदला—बदली करना।
(छ) प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
(ज) नकल प्रकण से संबंधित दस्तावेजों/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने से मना करना।
(झ) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
(ञ) सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नहीं करना या वापस करने से मना करना।
(ट) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।

उपरोक्त अनुचित साधनों तथा अभ्यर्थी के किसी अन्य कृत्य को पर्यवेक्षक/केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यर्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्य पररूपधारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। पररूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एंव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठनें वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा ।

विभाग द्वारा दस्तावेजों के परीक्षण/सत्यापन व नियुक्ति के समय कोई आवेदक या उसके दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाये जाते हैं, तो विभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त करते हुए पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा कर मंडल को अवगत कराया जायेगा, ताकि मंडल स्तर से संबंधित अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम निरस्त किया जा सके।

2.12 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.13 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :–

परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर का हो।
2. प्रश्न की संरचना गलत हो।
3. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
4. कोई भी विकल्प सही न हो।
5. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
6. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो।
7. अन्य कोई कारण, जिसे विषय विशेषज्ञ द्वारा उचित समझा जाये।

प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 200 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 198 प्रश्नों में 90 अंक प्राप्त करता हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{90 \times 200}{(200 - 2)} = 90.91 \text{ rounded off to } 91.00$$

नोट :– सभी गणना को दो दशमलव तक राउंडऑफ किया जायेगा।

2.14 प्रश्नपुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन :–

प्रश्न–पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्नों/उत्तरों के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियाँ निर्धारित प्रोफार्मा प्रारूप –1 में आवश्यक अभिलेख सहित परीक्षा आयोजन की तिथि के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

बिन्दु क्रमांक 2.13 अनुसार मण्डल द्वारा प्रश्न–पुस्तिका में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ–साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार उपरान्त मूल्यांकन हेतु अंतिम ''की'' (आदर्श उत्तर) तैयार की जायेगी । आदर्श उत्तरों के संबंध में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

2.15 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

अध्याय–1 से 2 में उल्लेखित नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा अभ्यर्थियों की प्रावीण्य/प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नोटिस बोर्ड तथा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त

मण्डल की वेबसाईट पर परीक्षा परिणाम के साथ–साथ विषयवार आदर्श उत्तर (subject wise modal answers) अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये उपलब्ध होंगे।

2.16 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.17 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.16 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2.18 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.19 न्यायिक क्षेत्राधिकार :–

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––

प्रारूप–1
(देखें नियम 2.14)

प्रश्न–पुस्तिका के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन

प्रमाणित करता/करती हूं कि मैं कृषि विकास अधिकारी चयन परीक्षा–2011 में अनुक्रमांक .... से परीक्षा केन्द्र.. से सम्मिलित हुआ/हुई हूँ । मेरे द्वारा प्रश्न–पुस्तिका कोड .... के सेट क्रमांक................... हल किया गया है । इस प्रश्न–पत्र के निम्नलिखित प्रश्न उल्लेखित कारणों से त्रुटिपूर्ण हैं:–

स0क्र0	प्रश्न क्रमांक	त्रुटि का विवरण	साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण	संलग्नक क्रमांक

2. उक्त त्रुटियों से संबंधित अभिलेख इस अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित है । कृपया उक्त प्रश्नों के त्रुटि का निराकरण करने का कष्ट करें ।

आवेदक के हस्ताक्षर..................................
आवेदक का नाम......................................
परीक्षा का नाम...
अनुक्रमांक...
परीक्षा केन्द्र का नाम................................

स्थान ....
दिनांक ....

(नोट– यह प्रपत्र केवल परीक्षार्थी द्वारा ही भरकर निर्धारित समयावधि तक मण्डल कार्यालय में उपलब्ध कराने पर विचार क्षेत्र में लिया जा सकेगा)

अध्याय – 3

SYLABUS OF AGRICULTURE DEVELOPMENT OFFICER

A. AGRONOMY AND SOIL SCIENCE

1. Agro- climate zones and geographical distribution of major filed crop.

2. Major filed crops of M.P and India cereals, pulses, sugarcane, fiber and forage crops and their package of practices; different cropping system ; mixed cropping and utera cultivation.

3. Soil structure classification, soil aggregates (mineral & organic components) their significance in crop production; soil types of M.P; physical chemical and microbiological properties of soil; essential and beneficial elements of soil their functions and deficiency symptoms.

4. Types of fertilizers ; organic manures; integrated nutrient management; causes and reclamation of acid, salt affected calcareous soils.

5. Land and water management; method of irrigation; Types, causes and control of soil erosion; rain water harvesting ; watershed management principles of rained farming.

6. Organic farming - importance, relevance and methods.

7. Preparation of compost, NADEP, vermicompost,

B. AGRICULTURAL ECONOMICS AND EXTENSION;

1. Definition and importance of Agriculture economics; farm planning ; its meaning and importance; farm management factors affecting farm production ; agricultural marketing system in M.P meaning and need for agricultural price policy.

2. Objectives and principles of agricultural extension; extension network at block, district and state level, its structure and responsibilities of extension workers; meaning importance and method of communication role of farmers' group in extension

C. PLANT PROTECTION:

1. Different insect pests, diseases and weeds of major field crops and their management; principles of crop protection; integrated pest and disease management; classification of pesticides and their use.

2. Importance and method of seed treatment.

D. PLANT PHYSIOLOGY & PLANT BREEDING:

1. Crop physiology and its importance in agriculture; mechanism of mineral salt absorption, transportation and metabolism; photosynthesis and respiration; growth and development; types of plant growth regulators with their commercial use in agriculture.

2. Importance of plant breeding and genetics in crop improvement; development of hybrid & composite varieties of major field crops; methods of seed production, objectives and principles of seed production : seed act.

E. METEOROLOGY AND AGRICULTURAL ENGINEERING;

1. Water harvesting techniques; minor irrigation; pond percolation tank farm pond- objectives and designing; calculation of raw material (cement, sand, gravels) used to construct irrigation and water storage structures, quality control in such structures.

2. Agricultural meteorology and its significance in crop production; drought flood, hall- storm frost and their effect on crops; types of clouds ; types of weather forecasts and their role in enhancing crop productivity.

3. Objectives and principles of surveying ; contour and contour survey; land use classification; farm machines and equipments- bullock drawn and tractor drawn; preparation of nursery; implements for sowing and interculture; plant protection equipments; threshers and winnowers; maintenance of farm implements and machine.

4. Principles and machines used in post harvest techniques; safe storage of grain/seeds.

DISTRIBUTION OF MARKS:

Group A	-	25 Marks
Group B	-	10 Marks
Group C	-	20 Marks
Group D	-	20 Marks
Group E	-	25 Marks
Total	-	100 Marks

कृषि विकास अधिकारी हेतु पाठ्यक्रम

अ. शस्य विज्ञान एवं मृदा विज्ञान :–

1. कृषि जलवायु, क्षेत्र एवं फसलों का भौगोलिक वितरण।
2. भारत एवं मध्यप्रदेश की प्रमुख फसलें, धान्य, दलहनी, गन्ना, रेशे और चारे की फसलों की कृषि कार्यमाला, विभिन्न फसल तंत्र, मिश्रित और उतेरा फसल।
3. मृदा पौधों के विकास हेतु माध्यम के रूप में और इसका संगठन मृदा के खनीज तथा कार्बनिक अवयव और उनका फसल उत्पादन में महत्व, म0प्र0 में भूमि के प्रकार, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं सुक्ष्म जैविक गुण, पौधों के आवश्यक पोषक तत्व उनका कार्य एवं कमी के लक्षण।
4. उर्वरक एवं उसके प्रकार, जैविक खाद, एकीकृत पौध पोषक तत्व प्रबंधन, अम्लीय, क्षारीय तथा लवणीय भूमि के कारण एवं सुधार के उपाय।
5. भूमि एवं जल प्रबंधन, सिंचाई की विधियॉ, भूमि क्षरण के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, वर्षा जल का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित खेती के सिद्धांत।
6. जैविक खेती – महत्व, उपयोगिता, तरीके।
7. कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि, वर्मी कम्पोष्ट।

ब. कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार :–

1. कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रक्षेत्र योजना तथा सावधानी, फसल प्रबंधन, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका संबंध, कृषि उत्पादन का विपणन और म0प्र0 में विपणन व्यवस्था, कृषि उत्पाद का मूल्य एवं कृषि विकास में योगदान।
2. कृषि प्रसार के उद्देश्य एवं सिद्धांत, राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रसार संगठन, उसकी संरचना, उत्तरदायित्व, संचार की विधियॉ, कृषक संगठनों का प्रसार सेवा में महत्व।

स. पौध संरक्षण :–

1. मुख्य फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवार, रोग एवं कीट, फसल संरक्षण के सिद्धांत, खरपतवार, रोग एवं कीटों का समन्वित प्रबंधन, विभिन्न पौध संरक्षण रसायनों का वर्गीकरण एवं उपयोग।
2. बीज उपचार का महत्व एवं विधियॉ।

द. पादम कार्यिकी एवं प्रजनन :–

1. पौध कार्यिकी के सिद्धांत विशेषतः पौध पोषक तत्वों का अवशोषण, परिसंचरण और उपापचय, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, वृद्धि और विकास, पौध विकास हेतु पौध वृद्धकों (हारमोन्स) के प्रकार एवं उपयोग विधि।
2. फसल विकास में उपयोगी अनुवांशिकी और पौध प्रजनन के तत्व, संकर एवं कंपोजिट जातियों का विकास, प्रमुख फसलों की संकर एवं कंपोजिट जातियॉ, बीज उत्पादन की विधियॉ, उद्देश्य एवं सिद्धांत, बीज अधिनियम तथा बीज उत्पादन की विधियॉ एवं सिद्धांत।

ई. मौसम विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी :–

1. विभिन्न जल संग्रहण संरचनाऍ, लघु सिंचाई, तालाब, परकोलेशन टैंक, फार्म पौड निर्माण का उद्देश्य, डिजाईन, पक्की संरचना निर्माण में लगने वाली सामग्री (रेत, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर आदि) की गणना, गुणवत्ता निर्धारण एवं आंकलन करना।
2. मौसम एवं फसलों का संबंध, सूखा (अकाल), बाढ़, ठंडी हवाऍ और पाला के लिये मौसम विज्ञान, बादलों के प्रकार तथा मौसम के पूर्वानुमान का फसल उत्पादन पर प्रभाव।
3. सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, कंटूरिंग एवं प्रक्षेत्र विकास, भूमि क्षमता वर्गीकरण, प्रक्षेत्र मशीनें एवं उपकरण, बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्र, पौध रोपणी तैयार करना, भूमि सुधार, बुआई तथा अंतर शस्य क्रियाओं के लिये तंत्र एवं उपकरण, पौध संरक्षण यंत्र, कटाई तथा गहाई के लिये मशीनें, मशीनें एवं उपकरणों की देखभाल।

4. समस्त फसलों में कटाई उपरांत तकनीकी के सिद्धांत एवं उपकरण, अनाज का सुरक्षित भंडारण।

नोट – विभिन्न समूहों में अधिकतम प्राप्तांक निम्नानुसार होंगे :–

समूह – अ	–	25 अंक
समूह – ब	–	10 अंक
समूह – स	–	20 अंक
समूह – द	–	20 अंक
समूह – ई	–	25 अंक
कुल	–	100 अंक

———0———